सहायक सुरक्षा अधिकारी की पदोन्नति और तैनाती

3064. श्री बालासाहिब पवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल के उन सहायक सुरक्षा अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1974 में उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में नियुक्त किया गया था और वे अभी भी इलाहाबाद डिवीजन में तैनात हैं और उन्हें इलाहाबाद डिवीजन में ही रखने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि टुंडला, हरदुआगंज और शिकोहाबाद के क्षेत्र भी जहां बहुत अधिक चोरियां हुई हैं, उन्हीं अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते है जो उसी डिवीजन में 1974 से कार्यरत हैं; दूसरी रेलवे या आर पी एस.एफ. में इन अधिकारियों को स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे सुरक्षा बल का केवल एक सहायक सुरक्षा अधिकारी है, जिसे 1974 में तैनात किया गया था तथा अभी तक उसी मण्डल में तैनात है । इस अवधि के दौरान, वह इलाहाबाद मण्डल के तीन विभिन्न स्थानों पर तैनात रहा । किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट मण्डल में कितने ही समय तक तैनात किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(ख) इन स्थानों पर कुछ गम्भीर चोरी के मामले हुए हैं। वर्ष 1978 में हरदुआगंज में चीनी के बोरों की चोरी हो जाने के समय यह अधिकारी कानपुर में तैनात था, जिनके अधिकार क्षेत्र में हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) था । अगस्त, 1981 में टुंडला में तथा जुलाई 1982 में शिकोहाबाद में चुराई गई सामग्री बरामद करते समय यह अधिकारी टुंडला में तैनात था। दोनों ही स्थान उनके अधिकार क्षेत्र में थे । इन मामलों के अलावा, किसी अन्य गम्भीर और बड़ी मात्रा में चोरी के मामलों की रिपोर्ट नहीं मिली है । इनमें से किसी भी मामले में इस अधिकारी की सांठ-गांठ या उसकी ओर से ड्यूटी में चूक नजर नहीं आयी है यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षक

3065. श्री बालासाहिब पवार : क्या रेल मंत्री बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षकों के बारे में 25 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5294 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पांच वाणिज्यिक निरीक्षक 455–700 रुपये के ग्रेड में अभी भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया है ;

(ख) क्या 455–700 के वेतनमान में सी०एम०आई० के पद पहले मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किये जाते थे परन्तु अब इनका नियंत्रण प्रभागीय नियंत्रण द्वारा किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार हरिजनों के लिये आरक्षित पदों को शीघ्र भरने का है, और यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। इन पदों को नियमित आधार पर भरने के वास्ते एक लिखित परीक्षा के लिये प्रबन्ध कर लिये गये हैं और इस चयन में अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों के बारे में भी विचार किया जायेगा।

(ख) 455–700 रु० के वेतनमान में सी०एम आई० का पद अभी भी मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

टुंडला में यार्ड, प्लेटफार्म और लोको शेड में चोरी के मामले

3065. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टुंडला में सितम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक यार्ड, प्लेटफार्म और लोकोशेड से चोरी के कितने मामलों का पता लगा है और इस अवधि में कितने मामले दर्ज किए गये ; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी कि अपराध और चोरी के मामलों को पंजीकृत किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाये और उन्हें उचित दण्ड दिया जाये ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सितम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक की अवधि में टुंडला में यार्डों, प्लेटफार्मों और लोकोशडों से चोरियों के 65 मामले दर्ज किये गये थे। इनमें से 49 मामलों का पता लगाया जा सका।

(ख) रेल सम्पत्ति की चोरियों के मामलों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे सभी मामले जिनकी रिपोर्ट मिलती है अथवा जिन्हें नोटिस में लाया जाता है, उपयुक्त बैध कार्यवाही करने के लिये दर्ज किये जा रहे हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

Consultative machinery of Indian Railways

3067. **SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE:**
SHRI BAPU SAHEB PARULEKAR:
SHRI CHINTAMANI JENA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided not to reconstitute the dissolved consultative machinery of the Indian Railways; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). No, the Railway Users' Consultative Committees are in the process of reconstitution.

दिल्ली नगर निगम के वर्ष 1973 से निलम्बित फार्मेसिस्ट तथा निलम्बन भत्ते का भुगतान न किया जाना

3068. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पतालों में नियुक्त ऐसे फार्मेसिस्टों की कुल संख्या